

—बत्तीस—

उत्तर प्रदेश सरकार  
कर एवं निबन्धन अनुभाग-5  
संख्या क0नि0-5-605/11-2004-500 (64)/98  
लखनऊ, दिनांक 28 जनवरी, 2004  
अधिसूचना

प0आ0-42

उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में समय-समय पर यथासंशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से उक्त अधिनियम की अनुसूची एक-ख के अनुच्छेद 38-क के खण्ड (क) में उल्लिखित शस्त्रों के सम्बन्ध में राज्य सरकार से पेंशन पा रहे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पक्ष में निष्पादित शस्त्र अनुज्ञप्ति विलेख पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क से छूट प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,  
ह0अस्पष्ट  
बचित्तर सिंह,  
सचिव।

The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Government notification no. K.N.I. 5-605/XI-2004-500(64)-98, dated January 28, 2004 for general information :

No. K.N.I. 5-605/XI-2004-500(64)/98  
Lucknow, Dated January 28, 2004  
Notification

In exercise of the powers under clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (Act no. 2 of 1899) as amended from time to time in its application to Uttar Pradesh, the Governor is pleased to remit

from the date of publication of this notification in the Gazette, the stamp duty chargeable on instruments of license relating to arms mentioned in clause (a) of Article-38-A of Schedule 1-B of the said Act, executed in favour of freedom fighters receiving Pension from the State Government.

By order,  
Sd/- Illegible  
BACHITTAR SINGH,  
Sachiv.